संख्या:-16/2026/180ई-2/तेरह-2026-1720269

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 24 मार्च, 2026

विषयः-मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि., ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद तहसील मितौली, लखीमपुर खीरी से अल्कोहल वर्ष 2025-26 में 105 लाख बल्क लीटर ई.एन.ए. को देश के बाहर निर्यात किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:G-28/नौ-अल्कोहल/1140/2025-26/ई.एन.ए/निर्यात/ग्लोबस स्प्रिट्स लि., दिनांक 26-02-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 26-02-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि., लखीमपुर खीरी को उसकी अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2025-26 में 105 लाख ब.ली. ग्रेन ई.एन.ए. को देश के बाहर निर्यात किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) यह निर्यात मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि. लखीमपुर खीरी की स्वीकृत अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत ही होगा।

(2) प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात पर आबकारी विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) प्रदेश में ग्रेन की कमी होने पर आसवक द्वारा ग्रेन का आयात कर ग्रेन ई.एन.ए. का निर्यात किया जायेगा।

(4) ग्रेन ई.एन.ए. की देश के बाहर निर्यात किये जाने की स्थिति में निर्यात फीस नहीं ली जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा देश के बाहर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर एक परमिट के अन्तर्गत 50,000 बल्क लीटर तक के निर्यात की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस निर्यात परमिट हेतु प्रस्तुत ऑन-लाइन आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस रू. 50,000/- जमा किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in